

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी _____

किस्म _____

मुकदमा _____

अभरण _____

विपक्षी _____

इन्प _____

थाई _____

पत्रावली संख्या _____

157/14

सन् _____

क्रमांक _____

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

8/6/25

कफुलाय वादी/प्रतिवादी उप. 08/06/25

के लिखे मौका चाहते हैं। अतः 08/06/25 को जारी किया

अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 18/8/25

को पेश हो।

(M)
(SDO) मावली

18/8/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण

मय वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय सांय 5:00 PM हो चुके हैं। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण अब तक अनुपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण वर्तमान में बटस हाग में लम्बित हैं। अधिवक्ता वादीगण को बटस हेतु लगभग 1 वर्ष का समय दिया गया था परन्तु अधिवक्ता वादीगण द्वारा बटस नहीं की गई। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अधिवक्ता वादीगण एवं स्वयं वादीगण अपने वाद के प्रति सजग नहीं हैं एवं मात्र प्रकरण को लम्बा करना चाह रहे हैं। ध्यान भी स्वयं वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाद डायम हाजरी अदम फँसरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फँसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

